सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/DEV-1863/BR/5/2023-APCR -RU-IV   Date : 04.11.2025

To,

The Superintendent of Police
District - Siwan,
O/o the Superintendent of Police,
Chitragupta Nagar,
Siwan, Bihar- 841227
Email Id: sp-siwan-bih@nic.in

Sub: Representation dated 25.05.2023 received from Shri Ran Vijay Sah, New Delhi complaining against some persons who misbehaved with him and his family members, specially with ladies and kids and used caste- indicative words.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the sitting held on 08.10.2025 under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action.

It is requested that compliance report in the matter on the recommendation may be furnished to this Commission within 15 days positively for placing the same before the Hon'ble Commission.

Yours faithfully

Praveen Kumar Singh
Under Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

Copy to:-

Shri Ran Vijay Sah,
S/o Shri Ram Pujan Sah,
Chamber No. 121,
Central Agency Section,
Supreme Court Compound,
Supreme Court of India,
New Delhi, - 110001
Mobile No:9013538903.

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

File No. NCST/DEV-1863/BR/5/2023-APCR

श्री रणविजय साह पुत्र श्री राम पूजन साह, चैंबर न.62, सेंट्रल एजेंसी सेक्सन, सुप्रीम कोर्ट कम्पाउन्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली व उसके परिवार को ब्रजमोहन भगत व अन्य कुछ लोगों के द्वारा परेशान करने, जमीन पर कब्जा करने व जाति सूचक शब्दों से गाली- गलोच करने के मामले में आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 08.10.2025 को अपराह्न 01:20 बजे आयोग के मुख्यालय, लोक नायक भवन , खान मार्केट , नई दिल्ली मे हुई सिटिंग का कार्यवृत ।

सिटिंग का समय एवं तिथि : 08.10.2025 को अपराह्न 01:20 बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-। अनुसार।

आयोग को श्री रण विजय साह, चैंबर नंबर 62, सेंट्रल एजेंसी सेक्शन, सुप्रीम कोर्ट कंपाउंड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की दिनांक 25.05.2023 को कुछ उच्च जाति के लोगों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है, जिन्होंने उनके और उनके परिवार के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया था। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता और उसके चार भाई गांव (ग्राम चांद पाली टोला, शिवपुर, पोस्ट-किसनपुर, मिश्रली, जिला- सिवान , बिहार) से बाहर काम करते हैं। बिहार में उनकी पैतृक संपत्ति की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बृजमोहन भगत और उनके परिवार के सदस्यों ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। जब उनके परिवार के सदस्य विशेष रूप से महिलाएं वहां अकेली रहती थीं तो आरोपी व्यक्ति जबरदस्ती उनके घर में घुस आए और उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया और धमकी दी। इस संबंध में उन्होंने संबंधित थाने में शिकायत की है लेकिन एफ़आईआर दर्ज नहीं की गई है।

2. इस प्रकरण में आयोग द्वारा 15 दिन की अवधि में रिपोर्ट मंगाने के किए पुलिस अधीक्षक, सिवान को दिनांक 28/06/2023 को नोटिस भेजा गया था। जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक, सिवान से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था।

3. प्रकरण में दिनांक 10.05.2024 को पहली सुनवाई निर्धारित की गई थी। सुनवाई के उपरांत आयोग ने पुलिस अधीक्षक, सिवान से दिनांक 28.06.2023 के नोटिस का उत्तर न देने तथा सिटिंग में अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करने को कहा। इसके साथ ही, आयोग ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज कर जांच करने, मामले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की सुसंगत धाराएँ लागू

आशा लकड़ा

करने और पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रकरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अथवा अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने हेतु भी कहा गया।

4. आवेदक ने rejoinder के माध्यम से अपनी असहमति व्यक्त करते हुए बताया कि भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। उन्होंने मामले में पुनः सुनवाई का आग्रह किया ।

5. मामले में पुलिस अधीक्षक, सिवान द्वारा दिनांक 04.08.2025 को एक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि आवेदक रणविजय साह और द्वितीय पक्ष बृजमोहन भगत, ग्राम चाँदपाली टोला, थाना जीरादेई, जिला सिवान के बीच भूमि विवाद पाया गया है। जांच प्रतिवेदन (ज्ञापांक-909/25, दिनांक 04.08.2025) के अनुसार विवादित भूमि खाता संख्या 64, खेसरा संख्या 3224, रकबा 02 कट्ठा 03 धूर से संबंधित है, जिस पर आवेदक ने वर्ष 2023 में बाउंड्री लगाई थी। आवेदक का आरोप है कि बृजमोहन भगत ने दिनांक 01.07.2025 को इस बाउंड्री को तोड़कर लगभग 8 फीट चौड़ा रास्ता बना लिया। दोनों पक्षों के विरुद्ध पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत कार्रवाई भी की जा चुकी है।

6. प्रकरण में पुनः दिनांक 08.10.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक, सिवान को दिनांक 01.10.2025 को समन जारी किया गया तथा आवेदक को भी इसकी सूचना प्रदान की गई।

7. सुनवाई के लिए पुलिस अधीक्षक, सिवान ने अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), सिवान को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए अधिकृत किया, जबकि आवेदक भी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे।

दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत, आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती हैं:

1. भूमि की मापी अंचलाधिकारी द्वारा पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में नवम्बर माह के अंतिम सप्ताह अथवा दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में संपन्न कराई जाए।

2. भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा भूमि मापी पूर्ण होने एवं विवाद के निराकरण होने तक वर्तमान स्थिति यथावत बनाए रखी जाए। चूँकि प्रार्थी ने आयोग को अवगत कराया है कि उसकी भूमि पर की गई तारबंदी को तोड़कर अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया है एवं जबरन मार्ग निकाला गया है, अतः संबंधित अंचल अधिकारी एवं पुलिस उप अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि उक्त अतिक्रमण पर तुरंत रोक लगाई जाए और प्रार्थी की भूमि की सुरक्षा बनाए रखी जाए।।

3. मापी पूर्ण होने के बाद मामले के निपटान के पश्चात, उसकी रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा
17/10/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-1863/BR/5/2023-APCR -RU-IV

Sitting to be held on **08.10.2025 at 01.20 P.M-** Representation dated 25.05.2023 received from **Shri Ran Vijay Sah**, New Delhi complaining against some persons who misbehaved with him and his family members, specially with ladies and kids and used caste- indicative words.

Sl No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Consultant		
4	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Superintendent of Police, Siwan, Bihar.**		
1.	Sanjay Kumar Jha Additional S.P. Siwan.	9031827202	[signature] 08.10.25
2.			
3.			
4			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.	Ranvijay Sah	9013538903	[signature] 8/10/25
2.			